

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2019—ज्येष्ठ 3, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मई 2019

CORRIGENDUM

क्र. 2670-2019-इक्कीस-ब(एक).—In this department's Notification no. 2379-2019-XXI-B(One), Bhopal, dated 10th April, 2019, which was published in Madhya Pradesh Rajpatra in Part-4(C), dated 26th April, 2019 by which High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, General Conditions of Services, Conduct, Classification, Control and Appeal) Rules, 2017 were notified, the following corrections are made namely:—

- (1) At page no. 195, before heading "Gradation List", number "10" shall be added.
- (2) Page no. 228 to 267 shall not be treated as part of the rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.